राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या ...19/2016 एवं 20/2016..............................जिला...........उदयपुर..................................

उनवान – मैसर्स ऐरोमेटिक्स (इंडिया) प्रा.लि., उदयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत द्वितीय, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/10/2016	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह दोनों विविध प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 04.07.2016, जिसके द्वारा 37,337/– रूपये एवं 10,79,965/– रूपये की बकाया राशि पर स्थगन प्रदान करते हुए अपीलीय अधिकारी को उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे, के संबंध में प्रस्तुत की गई है। तदनुरूप अभ्यर्थना की गई है कि उनके द्वारा स्थगन आदेशों के संबंध में समस्त शर्तें पूरी कर दी गई थी, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अभी तक उनके समक्ष लम्बित अपीलों का निस्तारण नहीं किया है, इस आधार पर उन्होंने कर बोर्ड द्वारा पूर्व में अपील संख्या 2247 एवं 2248/2015 निर्णय दिनांक 06.01.2016, विविध प्रार्थना पत्र संख्या 59 व 60/2016 निर्णय दिनांक 31.03.2016 एवं 84 व 85/2016 निर्णय दिनांक 04.07.2016 में प्रदान किये गये स्थगन आदेशों को और तीन माह तक बढाने का निवेदन किया है। उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनने के पश्चात प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत दोनों प्रकरणों में स्थगन पूर्व शर्तोनुसार तीन माह अथवा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपील आदेश जो भी पहले हो, तक बढायें जाते हैं। विविध प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है। (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	